Issue of Bonds by Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited

1306. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any proposal from the Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited for issue of NRI Bonds and Tax-Free Bonds is pending with Government for clearance;

(b) if so, the time since when it is pending with the Government and reasons for such a long pendency; and

(c) the time by which it is likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) to (c) No, Sir. However, a proposal was received from Gujarat Government in December, 1995 to permit Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited to raise Rs. 300 crores as tax-free bonds. They were informed that it was not possible to expand the scheme of tax-free bonds to State sector projects in view of the present restrictive policy for tax-free bonds even for Central Public Sector Enterprises in the wake of the adverse criticism by the Joint Parliamentary Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions on the use of funds raised through tax-free bonds and Government's assurance thereon that the system of tax-free bonds should be phased out gradually.

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की गयी धनराशि

1307. **श्री रामजीलाल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक राज्यवार कितना ऋण प्रदान किया है;

(ख) हरियाणा राज्य को कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या नाबार्ड ब्याज की दर कम करने के लिये कोई कदम उठायेगा; यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) और (ख) योजना बद्ध और गैर-योजनाबद्ध ऋण के लिए अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए गए पुनर्वित्त के हरियाणा राज्य सहित राज्य-वार संवितरण का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) नाबार्ड द्वारा अपनायी जाने वाली ब्याज दर इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निर्देशों से नियंत्रित होती है। सहकारी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी स्लैबों के लिए ऋणों के वास्ते 12 प्रतिशत न्यूनतम के अध्यधीन पूरी तरह से अविनियमित कर दिया है। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समर्थित योजनाओं के अन्तर्गत निवेश ऋण के लिए ब्याज-ढांचा निम्नानुसार है:—